न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2025, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. मनोज पुत्र भजनी जाति मीना निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. काडी पत्नि रामलाल
2. जलबाई पत्नि बसन्तीलाल
3. नवलकिशोर पुत्र कजोड
4. पूरणमल पुत्र कजोड
5. बसन्ता पुत्री मुरली
6. मगनबाई पत्नि श्रीफूल
7. मथुरी पत्नि कजोड
8. रंगलाल पुत्र रामधन
9. रामप्रकाश पुत्र रतनलाल
10. शिवराम पुत्र रतनलाल
11. हरगोविन्द पुत्र रतनलाल
12. रवि पुत्र घनश्याम
13. रिंकू पुत्र घनश्याम
14. अरूण पुत्र ब्रजमोहन नाबालिग जरिये वली माता मधु पत्नि ब्रजमोहन
15. हेमन्त पुत्र कल्याण नाबालिग जरिये संरक्षक रिंकू पुत्र घनश्याम
16. लक्ष्मी पत्नि सुमेरसिंह

    समस्त जाति मीना निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
17. रामकिशन पुत्र परसादी
18. राजीवण पुत्र श्रीया
19. सुमेर पुत्र रामजीवण
20. भजनी पुत्र रामधन
21. कमलेश पुत्र भजनी
22. बबलू पुत्र भजनी
23. पपीता पुत्री भजनी
24. संतोष पुत्री भजनी
25. साबो पुत्री भजनी
26. देवेन्द्र पुत्र श्रीफूल
27. बर्फी पत्नि कल्याण
28. लक्ष्मीबाई पुत्री श्रीफूल
29. विजय पुत्र श्रीफूल
30. साजना पुत्री कल्याण
31. हेमन्त पुत्र कल्याण
32. मुनेश पुत्र घनश्याम

    समस्त जाति मीना निवासी बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
33. तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
34. श्री नवनीत कुमार मीना पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण बउनवानी प्रकरण काडी आदि बनाम लक्ष्मी आदि वाद पत्र संख्या 164/2023 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 12/2023 उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचाराधीन को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध मे)

उपस्थिति : श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 19 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि उनवानी प्रकरण काडी आदि बनाम लक्ष्मी देवी आदि दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से साज व मिलीभगत कर रखी है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सिकराय नजदीक–नजदीक तारीख पेशी देते है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के आवास व चैम्बर पर मिलते जुलते देखा है तथा अप्रार्थीगण भी सरेआम कहते है कि पीठासीन अधिकारी हमारे पक्ष में ही निर्णय करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण न्याय हित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 19 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋद्धिचन्द शर्मा उपस्थित आये। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण काडी आदि बनाम लक्ष्मी देवी आदि दावा तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय से साज व मिलीभगत कर रखी है व प्रकरण में पीठासीन अधिकारी नजदीकी तारीख पेशीयां देते है व प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के आवास व चैम्बर पर मिलते जुलते देखा है तथा अप्रार्थीगण भी गांव में सरेआम कहते है कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो गई है तथा पीठासीन अधिकारी हमारे पक्ष में निर्णय पारित करेंगे। इससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से साज व मिलीभगत कर रखी है। प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रहीं है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचारधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 19 जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। अप्रार्थीगण की तलवी हेत रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये जाने के आदेश होने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जा रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने हेतु अप्रार्थीगण एवं उपखण्ड अधिकारी पर झूंठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chaudhary
Date: 2025.06.30 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्र0 सं0 23/2025

उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी में अंकितानुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है, फिर भी यदि पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो उपखण्ड अधिकारी सिकराय को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत कर पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये है उन आरोपों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अप्रार्थीगण को तलब किये जाने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश किये जाने के आदेश की भी पालना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में देर किये जाने के उद्देश्य से पेश किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:28 IST
Reason: SelfAttested